न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौकरिया, RAS

अपील संख्या 03/2014

1 कमला पुत्री चतुरसिंह उर्फ चौथू।
2 बिमला पुत्री चतुरसिंह उर्फ चौथू।
3 गुलाब पुत्री चतुरसिंह उर्फ चौथू।
4 आंची पुत्री चतुरसिंह उर्फ चौथू समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी भानावाली तन श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 प्रहलाद (फौत)।
1/1 सुशीला देवी बेवा प्रहलाद।
1/2 देशराज पुत्र प्रहलाद।
1/3 राजेन्द्र पुत्र प्रहलाद।
1/4 सुमन पुत्री प्रहलाद समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी भानावाली तन श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2 राधा देवी बेवा चतुरसिंह उर्फ चौथू जाति जाट निवासी श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
3 श्रीमती सुशीला पत्नी शंकरलाल गढ़वाल।
4 शंकरलाल पुत्र नामालूम समस्त जाति जाट निवासीगण रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
5 उप पंजियक श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
6 पटवार हल्का श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
7 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर
उनवानी कमला बनाम प्रहलाद प्रार्थना पत्र संख्या
142/2007 दिनांकित 07.05.2013

अपील संख्या 04/2014

1 कमला पुत्री चतुरसिंह उर्फ चौथू।
2 बिमला पुत्री चतुरसिंह उर्फ चौथू।
3 गुलाब पुत्री चतुरसिंह उर्फ चौथू।
4 आंची पुत्री चतुरसिंह उर्फ चौथू समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी भानावाली तन श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 प्रहलाद (फौत)।
1/1 सुशीला देवी बेवा प्रहलाद।
1/2 देशराज पुत्र प्रहलाद।
1/3 राजेन्द्र पुत्र प्रहलाद।
1/4 सुमन पुत्री प्रहलाद समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी भानावाली तन श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2 राधा देवी बेवा चतुरसिंह उर्फ चौथू जाति जाट निवासी श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
3 श्रीमती सुशीला पत्नी शंकरलाल गढ़वाल।
4 शंकरलाल पुत्र नामालूम समस्त जाति जाट निवासीगण रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

5 उप पंजियक श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
6 पटवार हल्का श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
7 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर
उनवानी कमला बनाम प्रहलाद प्रार्थना पत्र संख्या
143/2007 दिनांकित 07.05.2013

उपस्थिति :

1. श्री पोकरमल, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 02/11/23

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 142/2007 व 143/2007 में पारित निर्णय दिनांक 07.05.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में विवादित भूमि एंव पक्षकार समान होने से दोनों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में पृथक—पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी प्रार्थी/अपीलांट ने भूमि खसरा नम्बर 2027/2116 वाके ग्राम श्रीमाधोपुर के संदर्भ में दावा बाबत उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा एवं धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत कर रखा था। दौराने सुनवाई अपीलांट के वकील ने विचारण न्यायालय में पैरवी नहीं की एवं अपीलांट को उपस्थिति होने के लिए सुचित भी नहीं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

किया। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद एवं प्रार्थना–पत्र दोनो को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अलग–अलग अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट के अधिवक्ता की गलती से अपीलांट का दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हुआ है। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। प्रकरण का निस्तारण तकनिकी आधार पर नहीं कर गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए धारा 5 का आवेदन एवं अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में अपीलांट का वाद एवं प्रार्थना पत्र अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर निर्णय पारित नहीं किया गया है। प्रकरण का निस्तारण तकनिकी आधार पर नहीं कर गुणावगुण पर किया जाना श्रेयस्कर होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.12.2023 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 02/11/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(Signature)

([illegible])

[illegible]

पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,

सीकर